150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

विषयः–दिनांक 30.09.2020 को जारी परिपत्र के संबंध में।

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी 1727
दिनांक 5/10/2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र को गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

1.10.2020

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)
अनुभागाधिकारी

प्रोग्रामर,
गृह (ग्रुप–6) विभाग

अशा टीप क्रमांकः–प.17(261)गृह–10/2020
जयपुर, दिनांकः– 1–10–2020

D:\LETTER LALIT\UO.NOTE.docx

(6)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः प. 17(261) /गृह–10/2020 जयपुर, दिनांकः 30/9/2020

परिपत्र

विषयः–विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

यत् यह ध्यान में लाया गया है कि अनुसंधान एजेन्सिया नियमित लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के स्थान पर प्रकरण विशेष में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करते है। इस विभाग को विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति के प्रस्ताव प्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखेः–

1. विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये जाने के प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24(8) में वर्णित है। उक्त प्रावधानों के अनुसार विशेष लोक अभियोजक के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के विधि व्यवसाय के अनुभव की आवश्यकता है। इसलिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति के प्रस्तावों के साथ अधिवक्ता का एनरोलमेंट संख्या प्रेषित करे।
2. विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति के प्रस्तावों के साथ अधिवक्ता की जन्म तिथि, सहमति व फीस सम्बन्धी विवरण प्रेषित करे।
3. विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति के प्रस्ताव सम्बन्धित महानिदेशक पुलिस/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के मार्फत प्रेषित करे।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सैनी)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

Scanned by CamScanner